

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रंजी
पत्रावली विभाग रंजी बनाम लोमेश शर्मा वरुण
नं. सज.

क्र. सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------	----------------------------------	-------------------------------------------------------

21

काज मय दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act वादी वसील शर्मा द्वारा पेश किया गया प्रकरण इजिस्ट्रार परिषद कर परिषदाधीन को जर्ने शिफ्ट नोटिस जारी है। पत्रावली दिनांक 24-01-2022 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रंजी जिला अलवर

24 01 22

पत्रावली पेश हुई। वसीलवादी उपस्थित वसीलवादी शर्मा द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस किया गया।

कारण प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमल कुमार लोमर रजिस्ट्रार से कम सीपीओ मद श्री सफर दारिकल है।

उपखण्ड अधिकारी
रंजी जिला अलवर

Not press
Sharma